न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/10/2024

जीसीएमएस– 2024/508

दायर दिनांक– 14/08/2024

निर्णय दिनांक– 27/10/2025

1. शान्ति पत्नि भिक्कन पुत्री स्व0 हरिमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी गारू तहसील कठूमर अलवर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत गारू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गारू पंचायत समिति कठूमर, अलवर।
2. रामेश्वरदयाल पुत्र हरिमोहन जाति ब्राहमण निवासी गारू तहसील कठूमर अलवर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.01.1983 विरासत इन्तकाल संख्या 589 ग्राम गारू ग्रा. पं. गारू तह0 कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री कृपादयाल राणा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

2.श्री रामजीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस सं0 2

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1193, 1194 वाके ग्राम गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट वो रेस्पोडेन्ट सख्या 2 एक ही संयुक्त परिवार के व्यक्ति हैं मुताबिक सजरा अपीलन्ट के पिता हरिमोहन थे जो फौत हो जाने जिसके एक पुत्र रामेश्वरदयाल एक पुत्री शांति पैदा हुये जो मृतक पिता हरिमोहन के कानूनी वारिस काविज जायदाद है। उक्त आराजी पर अपीलण्ट के पिता हरिमोहन के स्वर्गवास हो जाने पर उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट को व 1/2 हिस्सा रेस्सपो संख्या 2 को विरासत में प्राप्त हुआ है। अपीलाण्ट के पिता हरिमोहन के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 589 वाके ग्राम गारू रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरिके से मृतक के सभी वारिसान की जॉच किये विना ही अपीलाण्ट का नाम छोडकर पुत्र रामेश्वरदयाल नाम पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया जबकी अपीलाण्ट मृतक हरिमोहन की सगी पुत्री है जो मृतक हरिमोहन के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है इन्तकाल संख्या 589 गलत व गैरकानूनी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

है रेस्पो संख्या 1 को मृतक पिता हरिमोहन का विरासत इन्तकाल सगी वारिसान की जॉच कर अपीलाण्ट के नाम 1/2 हिस्सो का व रेसपोडेण्ट संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा का स्वीकार करना चाहिए था। चूँकि अपीलाण्ट हरिमोहन की पुत्री व रेस्पो0 संख्या 2 रामेश्वरदयाल सगा पुत्र है जो इनके वारिसान है तथा मृतक हरिमोहन के कानूनी वारिस है ग्राम पंचायत ने मृतक हरिमोहन के विरासत इन्तकाल संख्या 589 में अपीलाण्ट का नाम छोड कर भारी कानूनी भूल की है।उक्त इन्तकाल संख्या 589 दिनांक 24.01.1983 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से शांति का नाम छोड दिया जो कानूनन गलत है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 589 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.07.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 589 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 14.08.24 से दिनांक 24.01.1983 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 589 दिनांक 24.01.1983 वाके गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 589 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.07.2024 को पटवारी हल्का के पास से नकल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 589 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 17.03.2025 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वाबजूद रजिस्टर्ड डाक के उपस्थिति ना होने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। रेस्पो0 संख्या 2 उपस्थित आये जिन्होन जवाब ना पेश कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 589 के बारे में जानकारी दिनांक 21.07.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 589 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलान्ट वो रेस्पोडेन्ट सख्या 2 एक ही संयुक्त परिवार के व्यक्ति है मुताबिक सजरा अपीलन्ट के पिता हरिमोहन थे जो फौत हो जाने जिसके एक पुत्र रामेश्वरदयाल एक पुत्री शांति पैदा हुये जो मृतक पिता हरिमोहन के कानूनी वारिस काविज जायदाद है। उक्त आराजी पर अपीलण्ट के पिता हरिमोहन के स्वर्गवास हो जाने पर उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट को व 1/2 हिस्सा रेस्सपो संख्या 2 को विरासत में प्राप्त हुआ है। अपीलाण्ट के पिता हरिमोहन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 589 वाके ग्राम गारू रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरिके से मृतक के सभी वारिसान की जॉच किये विना ही अपीलाण्ट का नाम छोडकर पुत्र रामेश्वरदयाल नाम पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया जबकी अपीलाण्ट मृतक हरिमोहन की सगी पुत्री है जो मृतक हरिमोहन के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है इन्तकाल संख्या 589 गलत व गैरकानूनी है रेस्पो संख्या 1 को मृतक पिता हरिमोहन का विरासत इन्तकाल सभी वारिसान की जॉच कर अपीलाण्ट के नाम 1/2 हिस्से का व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा का स्वीकार करना चाहिए था। चूँकि अपीलाण्ट हरिमोहन की पुत्री व रेस्पो0 संख्या 2 रामेश्वरदयाल सगा पुत्र है जो इनके वारिसान है तथा मृतक हरिमोहन के कानूनी वारिस है ग्राम पंचायत ने मृतक हरिमोहन के विरासत इन्तकाल संख्या 589 में अपीलाण्ट का नाम छोड कर भारी कानूनी भूल की है।उक्त इन्तकाल संख्या 589 दिनांक 24.01.1983 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से शांति का नाम छोड दिया जो कानूनन गलत है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तथा रेस्पोडेण्ट सं0 2 के अधिवक्त द्वारा अपील में लिखित सभी कथनों को गलत झूठ एंव मिथ्या बतातें हूये निवेदन किया की शांति हरिमोहन की वारिस नहीं है तथा दिनांक 22.07.2024 से 13.07.2024 तक का को विधिक कारण नही है पत्रावली मियाद वहार है उक्त अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत गारू द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 589 दिनांक 24.01.1983 वाके ग्राम गारू ग्राम पंचायत गारू को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर